उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

दूरभाषःपी०बी०एक्स०– 2622363, 2627111

फैक्स : 0522-2615526, 2628841, 2623578

पत्र संख्याः 281/2019–46 वीटीएस/आईटीएमएस/2013 Vol.III दिनांक 19, जुलाई 2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/
समस्त सहायक क्षे0प्रबन्धक (डिपो एवं वित्त) **<u>तत्काल अनुपालन/समयबद्ध</u>**
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

<u>विषयः वीटीएस डिवाईस की क्रियाशीलता एवं मॉनिटरिंग के सम्बन्ध में।</u>

उपरोक्त विषयक वीटीएस की उपयोगिता एवं डिवाईस की क्रियाशीलता में सुधार हेतु एवं वाहनों आउटशेडिंग से इनशेडिंग तक इनको वाहन का फिटमेण्ट मानते हुए कार्यशाला स्तर से चेक करना, वीटीएस से प्राप्त होने वाले ओवर स्पीडिंग, हार्श बेकिंग, हार्श एक्सेलेरेशन व अवैध ठहराव व मार्ग परिवर्तन जैसे प्रकरणों में कार्यवाही के लिए परिपत्र संख्या–2056/कम्प्यू/14–46वीटीएस/आईटीएमस दिनांक 13 जून, 2014 व परिपत्र संख्या–48/46/आईटीएमएस/वीटीएस/कम्प/2013 दिनांक 15 मार्च, 2016 द्वारा निर्देश पूर्व में प्रसारित किये गये थे।

2– विगत दिवसों में हुए दुर्घटना प्रकरण में उच्च स्तरीय समीक्षा में क्षेत्रीय अधिकारियों की अनभिज्ञता व संवेदशीलता व मॉनिटरिंग का अभाव दिखा है। यह भी संज्ञान में लिया गया कि यदि कुछ एक बसों में एसएलडी/स्पीड गवर्नर व वीटीएस डिवाईस कार्यरत नहीं है तो क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा न तो उसके निराकरण की कार्यवाही की जा रही है और न ही क्रियाशील डिवाईसों के आधार पर प्राप्त सूचना का उपयोग किया जा रहा है।

3– इन विषयों पर सजगता एवं जागरूकता विकसित करने के लिए निम्नवत दायित्व निर्धारित किया जाता है–

i. पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार डिपो से आउटशेड होने वाली वाहन में क्रियाशील वीटीएस की पुष्टि का दायित्व कार्यशाला प्रभारी के लिए निर्धारित रहे।

ii. स0क्षे0प्र0 डिपो दैनिक रूप से प्रत्येक वीटीएस युक्त वाहन की समीक्षा करेंगे। मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में एटीआर रिपोर्ट (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) अनिवार्यता भरेगे, व निर्धारित व्यवस्थानुसार आईटीएमएस पोर्टल पर यथा व्यवस्था प्रस्तुत करेंगे, जिसकी प्रतिलिपि क्षेत्रीय प्रबन्धक को भी की जायेगी। प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबन्धक स्वयं प्रत्येक डिपो के वाईलेशन केसेस दैनिक रूप से समीक्षा करेंगे।

सेवा प्रबन्धक अपने क्षेत्र के सभी डिपो की वीटीएस क्रियाशीलता का परीक्षण करेंगे तथा अक्रियाशील डिवाईस विषयक सम्बन्धित स0क्षे0प्र0 व क्षेत्रीय प्रबन्धक को फीडबैक रिपोर्ट देंगे।

iii. मुख्यालय स्तर से क्षेत्रों के नामित नोडल अधिकारी सप्ताह में न्यूनतम 02 बार अपने नोडल क्षेत्र की न्यूनतम 15 बसों में वीटीएस की समीक्षा की जायेगी व

Downloaded from www.upsrtc.com

क्षेत्रीय प्रबन्धक व स0क्षे0प्र0 डिपो को अनिवार्यता फीडबैक रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

iv. क्षेत्रीय प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन डिपोज द्वारा समीक्षा अथवा कार्यवाही नहीं की जा रही है, उनके विषयक अनुपलब्ध एटीआर का विवरण मु0प्र0प्र0(संचा0) व मु0प्र0प्र0(तक0) को दैनिक रूप से अनिवार्यता सुलभ करायें।

v. सभी क्षेत्रीय अधिकारी (स0क्षे0प्र0, से0प्र0 व क्षेत्रीय प्रबन्धक) द्वारा किसी घटना के होने पर निर्धारित व्यवस्थानुसार आईटीएमएस पोर्टल पर एमआईएस सेक्शन के अन्तर्गत इन्सीडेण्ट डिटेल रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत की जायेगी। इसकी समीक्षा मुख्यालय स्तर पर प्रस्तावित कन्ट्रोल रूम में नियमित रूप से की जायेगी।

मुख्यालय स्तर पर किसी घटना विशेष, पर सम्बन्धित स0क्षे0प्र0 एवं क्षे0प्र0 से विवरण प्राप्त करते हुए अपने नियंत्रण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जो घटना की सीविरियेटी के आधार पर मु0प्र0प्र0(संचा0) को ऐसी घटना का विवरण अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें। क्षेत्रों द्वारा भी आगामी 03 दिवसों में क्षेत्रीय कार्यालय में राउन्ड–द–क्लॉक कन्ट्रोल रूम व्यवस्था का डियूटी रोस्टर मुख्यालय को दिया जायेगा। क्षेत्रीय व मुख्यालय में कन्ट्रोल रूम में तैनात कर्मी अपनी पारी में न्यूनतम 100 बसों के चेक करना, वीटीएस से प्राप्त होने वाले ओवर स्पीडिंग, हार्श ब्रेकिंग, हार्श एक्सेलेरेशन व अवैध ठहराव व मार्ग परिवर्तन जैसे प्रकरणों की समीक्षा कर सम्बन्धित इकाई को फीडबैक देंगे व आगे डियूटी दिवसों में फालोअप भी करेंगे।

सभी क्षेत्रीय अधिकारी (स0क्षे0प्र0, से0प्र0 व क्षेत्रीय प्रबन्धक) द्वारा किसी घटना के होने पर निर्धारित व्यवस्थानुसार आईटीएमएस पोर्टल पर एमआईएस सेक्शन के अन्तर्गत इन्सीडेण्ट डिटेल रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत की जायेगी।

(राधेश्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय परिवहन निगम मुख्यालय।
3. वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय।
4. मु0प्र0प्र0(संचा0) एवं मु0प्र0प्र0(तकनीकी) परिवहन निगम मुख्यालय।
5. समस्त प्रधान प्रबन्धक/नोडल अधिकारी एवं समस्त अधिकारीगण परिवहन निगम।

(राधेश्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक

F:\LETTERS OPERATION.doc

Downloaded from www.upsrtc.com